फोलियो केवल नकल की फीस 4 [illegible]

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थनापत्र देने की तिथि	नकल तैयार होने की सूचना की तिथि	नकल प्रदान करने कर तिथि	नकल प्रदान करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
29/12/09	30/12/09	30/12/09	[illegible]

न्यायालय [illegible]
राजस्व वाद संख्या 2/04 माल 2009–10
वादी— पूर्णा देवी [illegible] पत्नी आनन्द मोहन [illegible]
V/s
प्रतिवादी— उ०प्र० राज्य सरकार
धारा 143 ZALR Act

नकल आदेश दिनांक 24-12-09 मय [illegible]

न्यायालय- असि0 कलेक्टर प्रथम श्रेणी, खटीमा जिला-ऊधमसिंहनगर।

राजस्व वाद संख्या –22/04 वर्ष –2009–10

वादी : पूर्णागिरी कालेज ऑफ एजूकेशन,झनकट जरिये उपाध्यक्ष श्री आनन्द मोहन रतूड़ी, पुत्र मुरलीधर,निवासी–सितारगंज रोड,खटीमा, ,तहसील–खटीमा ,जिला–ऊधमसिंहनगर।

बनाम

प्रतिवादी: ग्रामसभा, झनकट,तहसील–खटीमा,जिला–ऊधमसिंहनगर।

अन्तर्गत धारा-143 ज0वि0 एवं भू0सू0 अधि0

निर्णय

प्रस्तुत वाद में वादी द्वारा दिनांक–01.10.2009 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम–झनकट,तहसील–खटीमा, परगना–बिल्हैरी, के खाता खतौनी सं0–114 ,खसरा नं0–445 रकबा–0.379 हेक्टे0, लगानी मु0 9.45 भूमि उसके नाम वर्ग–1(क) संक्रमणीय भूमिधरी में दर्ज मालकागजात है। उक्त भूमि पर पूर्णागिरी कालेज ऑफ एजूकेशन,झनकट का निर्माण कार्य चालू है। उक्त भूमि पर 1416 फ0 में कृषि कार्य होना दर्शाया गया है, जब कि उक्त सम्पूर्ण रकबे पर किसी प्रकार का कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है तथा उक्त रकबे पर कोई कृषि कार्य न होने एवं रकबे को अकृषक प्रयोजन में लाये जाने के कारण उक्त रकबे को वह अकृषक घोषित कराना चाहता है। अतः अकृषक घोषित कर दिया जाये।

वादी के प्रार्थना–पत्र पर तहसीलदार,खटीमा से जाँच आख्या तलब की गई।

तहसीलदार,खटीमा/हल्का पटवारी/भू0निरी0/की जाँच आख्या दिनांक–14.10.2009 को प्राप्त हुई,जिस पर वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणों को सम्मन जारी किये गये। वादी श्री आनन्द मोहन रतूड़ी, ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज कराये। वादी द्वारा अपने बयानों में ग्राम–झनकट के खाता खतौनी

क्रमशः-........2

सं0–114 ,खसरा नं0–445 मध्ये रकबा–0.379 हेक्टे0,भूमि पूर्णागिरी कालेज ऑफ एजूकेशन, झनकट जरिये उपाध्यक्ष डॉ0 आनन्द मोहन रतूड़ी पुत्र मुरलीधर के नाम भूमिधरी में दर्ज माल कागजात है। वह उक्त संस्था का उपाध्यक्ष है। उक्त रकबे पर वर्तमान में किसी प्रकार का कृषि कार्य नहीं हो रहा है। उक्त रकबे पर वर्तमान में पूर्णागिरी कालेज ऑफ एजूकेशन,झनकट के भवन के निर्माण कार्य चल रहा है। मूल खातेदारों द्वारा उक्त भूमि कालेज के निर्माण हेतु दान में दी गयी है। जिसको अकृषक करने में सहखातेदारों को भी कोई आपत्ति नहीं है। बैंक से लोन आदि लेने के लिये उक्त भूमि को अकृषक घोषित करवाना आवश्यक है। अतः उक्त भूमि को अकृषक घोषित कर दिया जाये! ग्रामप्रधान श्रीमती बबीता राना द्वारा भी अपने बयान दर्ज कराकर वादी के बयानों का समर्थन करते हुए उक्त भूमि पर मौंके पर कोई कृषि कार्य न होना एंव उक्त भूमि पर पूर्णागिरी कालेज ऑफ एजूकेशन,झनकट का कालेज भवन बनना एवं उक्त भूमि को अकृषक घोषित किये जाने में ग्रामसभा को कोई आपत्ति न होने बावत बयान दिये।

हल्का पटवारी/तहसीलदार खटीमा द्वारा भी अपनी जांच रिपोर्ट में विवादित आराजी, खाता खतौनी सं0–114 ,खसरा नं0–445 मध्ये रकबा–0.379 हेक्टे0, भूमि वादी/पूर्णागिरी कालेज ऑफ एजूकेशन,झनकट के नाम भूमिधरी में दर्ज होना एवं मौके पर कालेज का निर्माण होना एवं भूमि पर किसी प्रकार का कृषि कार्य न होना एवं अकृषक किये जाने बावत आख्या संस्तुति सहित प्रस्तुत की।

मैंने पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन व अध्ययन किया एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली में ग्राम–झनकट तहसील–खटीमा की प्रस्तुत उद्धरण खतौनी 1414 फ0 से 1419 फ0 में उक्त भूखण्ड वादी के नाम वर्ग–1(क) संक्रमणीय भूमिधर में सहखातेदार में दर्ज है। तहसीलदार खटीमा ने अपनी जाँच रिपोर्ट में उपरोक्त भूखण्ड को आबादी में दर्ज करने हेतु अपनी आख्या दी है एवं वादी व ग्राम प्रधान के बयानों से भी उक्त भूखण्ड पर

क्रमशः-........3

वर्तमान में कृषि कार्य न होना व कालेज भवन बना होना सिद्ध है। अतः उक्त भूखण्ड को अकृषक घोषित किये जाने में,मैं कोई वैधानिक त्रुटि नहीं पाता हूँ।

आदेश

एतद्द्वारा ग्राम–झनकट ,तहसील–खटीमा,जनपद–ऊधमसिंहनगर की उद्धरण खतौनी 1414 फ0 1419 फ0 के खाता खतौनी सं0–114 ,खसरा नं0–445 मध्ये रकबा–0.379 हेक्टे0, लगानी मु0 9.45 भूमि को अकृषक घोषित कर लगान मुक्त किया जाता है। परवाना अमलदरामद जारी हो,वाद आवश्यक कार्यवाही एवं वाद मियाद पत्रावली माल अभिलेखागार संचित हो।

स्थान :- खटीमा — **(बी0 एस0 चलाल)**

दिनांक :- 25/12/08 — **असिस्टेंट कलेक्टर, प्रथम श्रेणी,खटीमा**

मेरे श्रुतलेख से टंकित करने के उपरान्त उपरोक्त निर्णयादेश आज दिनांक 25/12/08 को स्वहस्ताक्षरित, दिनांकित एवं मुद्रांकित करने के उपरान्त खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

स्थान :- खटीमा — **(बी0 एस0 चलाल)**

तयार ...
मिलान ...
शब्दों की संख्या 350

सत्य प्रतिलिपि